

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं० 2025/142

सिविल प्रकरण संख्या:- 23/2025

तारीख रजू 22.05.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

शहजाद खान पुत्र श्री नाथ्या खान (विक्रेता) मैसर्स शहजाद मिल्क डेयरी, निवासी दोबडा कलां, जिला
सवाई माधोपुर मो.नं. 9694368449 अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51/54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय:-

दिनांक 29.12.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान (शुद्ध आहार मिलावट पर वार) के तहत दिनांक 25.12.2024 को 09.30 ए.एम. पर प्लाट नं. जी- 134 रिको औद्योगिक क्षेत्र, खेरदा सवाई माधोपुर पर पहुंचे वहां पर वाहन सं. आर जे 25 यू ए 2967 बोलरो गाडी खडी हुई थी उन्हें वहां एक व्यक्ति मिला उनके द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम शहजाद खान पुत्र श्री नाथ्या खान (विक्रेता) मैसर्स शहजाद मिल्क डेयरी, दोबडा सवाई माधोपुर का होना बताया जिसको उन्होंने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया उक्त व्यक्ति के पास प्लास्टिक की 02 कैन (लगभग 74 लीटर) मिश्रित दूध मिला। उक्त मिक्स मिल्क में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने वास्ते नमूना जांच 2 लीटर खरीद कर उसकी कीमत 100/- रुपये विक्रेता शहजाद खान को नकद अदा कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अरमान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने खरीदशुदा 2 लीटर मिक्स मिल्क को चार नयी खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मिक्स मिल्क को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डालकर 40-40 बूंदे फार्मलीन डाली गई एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयर टाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक H-3545 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-3545 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी

न्याय निर्णयन आवेदन
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे शहजाद खान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं० 5ए की एक प्रति विक्रेता शहजाद खान को देकर रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/50 दिनांक 20.01.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/5396/एक्ट/2024/08 दिनांक 01.01.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क **Substandard & Extraneous Matter** प्रकृति का होना पाया गया है।

अभिहित अधिकारी द्वारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह का स्थानान्तरण जिला जयपुर प्रथम हो जाने के फलस्वरूप आवेदक वेद प्रकाश पूर्विया को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/737 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदक फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-Standard & Extraneous matter**, मिक्स मिल्क का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की क्रमशः धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जबाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub-Standard & Extraneous matter**, मिक्स मिल्क का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर


अभियुक्त ने प्रस्तुत जबाब को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी का वाहन बोलरो रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे 25 यू ए 2967 एक भार ढोने वाला वाहन नहीं बल्कि पर्सनल गाडी है जिससे प्रार्थी अपने मित्र नफीस खान के सामूहिक भोज में गया था। मित्र के कहने पर यादव दुग्ध डेयरी नई ट्रक यूनियन पचीपल्या से चाय, कॉफी बाबत दूग्ध लेकर रीको खेरदा में दूग्ध के प्लॉट पर खाद्य सामग्री लेने गया था। प्रार्थी दुग्ध विक्रेता भी नहीं है ना ही दूग्ध सप्लाय करता है। प्रार्थी झूठे तथ्यों पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/5396/एक्ट/2024/08 दिनांक 01.01.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क **Sub-Standard & Extraneous matter** प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में B.R.Reading at 40.0°C of extracted fat results 45.0 आई है जोकि 40.0 to 44.0 (Milk fat) होनी चाहिए थी। इसके साथ ही नमूने में फोरेन फेट का टेस्ट किये जाने पर फोरेन फेट मौजूद पाये जाने के कारण सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का पाया गया है। अभियुक्त द्वारा उक्त नमूना जांच की पुनः रेफरेल जांच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूँकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000 रू० (अक्षरे – बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संजय शर्मा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर